मु० नम्बर 543 किस्म 2004 ..... उनवान .....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौ

फर्द अहकाम

दिनांक	
18/2/25	पत्रावली पेश हुई। बहुलाल आदि की वादी वकील की ओर से वादिगण की तरफ से वादी पक्ष के साथ सहि० तलबाना पेश करने की मांग प्रार्थना पत्र दिया जाता है। इस अवस्था में प्रकरण स्थगित कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते सहि० तलबाना दिनांक 10-3-25 को पेश हो।
10/3/25	पत्रावली पेश हुई। बहुलाल आदि प्रकरण में प्रतिवादी नं. 6/1 की ओर से श्री घनश्याम चतुर्वेदी एडवोकेट वकील तलबाना पेश किया प्रतिवादी वकील के प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल उच्च न्यायालय जयपुर की रुलिंग आदेश पेश करने हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर वास्ते प्रकरण व आदेशिका दिनांक 4-4-25 को पेश हो।
5/5/25	अगली तारीख से पेश। पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसिएशन द्वारा कार्य [illegible] किया गया है अतः पत्रावली [illegible] अनुसार दिनांक 23-5-25 को पेश हो।
23/5/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी सजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो।
16/7/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता [illegible] अवगत कराया कि उक्त के प्रकरण के माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है एवं उसके फैसले के पश्चात ही पत्रावली आगे बढ़ाई जाए पत्रावली को फिलहाल आगामी आदेश तक स्थगित। माननीय न्यायालय के आदेश तक स्थगित की जाती है। पत्रावली 6/10/25 को पेश हो।